झारखंड सरकार,

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांक...............................

विषय :– **औद्योगिक अल्कोहल (Industrial Alcohol) एवं ईथेनॉल (Ethanol) के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं परिवहन प्रयोजनार्थ अनुज्ञप्ति एवं पारक निर्गत करने के संबंध में।**

संख्या :– 01/नीति–05–01/2025–........................./ झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 2 के अंतर्गत मादक (Intoxicant), मदिरा (Liquor) एवं सुषव (Spirit) निम्नवत परिभाषित है –

A) धारा 2 (12)(a)– "Intoxicant" means-

(i) any liquor, or

(ii) any substance from which liquor may be distilled and which is declared by the State Government by notification in the Official Gazette to be an intoxicant drug, or

(iii) Intoxicating drug, or

(iv) medicinal preparation as defined under the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955.

B) धारा 2 (14)– "Liquor" includes all liquids consisting of or containing alcohol, such as spirits of wine, spirit, fermented tari, pachwai and beer, and also unfermented tari, and also any other substance which the State Government may, by notification declare to be liquor for the purposes of this Act;

C) धारा 2 (19)– "Spirit" means any liquor containing alcohol obtained by distillation, whether it is denatured or not;

उक्त धाराओं के समेकित अध्ययन से यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का सुषव (Spirit), मादक (Intoxicant) की श्रेणी में आता है।

2. सुषव (Spirit) का उत्पादन आसवनी (Distillery) में किया जाता है। आसवनी (Distillery) की अनुज्ञप्ति झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 13, 15 एवं 16 के तहत वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत की जाती है। आसवनी (Distillery) के अनुज्ञापन

(Licensing) एवं विनियमन (Regulation) हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद के द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 23–137–2 दिनांक 29.04.1919 के नियम 3 से 33 तक में विस्तृत प्रावधान अंकित किये गये हैं। राज्य में डिस्टलरी की अनुज्ञप्ति हेतु एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निर्धारित है, जो आमजनों के लिए https://jelons.jharkhand.gov.in/ के वेबसाइट पर द्रष्टव्य है। उक्त नियमों एवं मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के अनुसार ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा आसवनी (Distillery) की अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की जाती है।

3. झारखंड राज्य की अनुज्ञप्ति प्राप्त आसवनियों (Distilleries) में मुख्यतः संशोधित सुषव (Rectified Spirit), ENA (Extra Neutral Alcohol) एवं विकृत सुषव (Denatured Spirit) का निर्माण किया जाता है। विकृत सुषव (Denatured Spirit) के उत्पादन हेतु अनुज्ञप्ति उत्पाद प्रपत्र 25 में तथा मानव उपभोग योग्य मदिरा (Portable Liquor) निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सुषव (ENA) के उत्पादन हेतु अनुज्ञप्ति उत्पाद पत्र 28A में निर्गत की जाती है। विकृत सुषव (Denatured Spirit) के थोक बिक्री, खुदरा बिक्री तथा इसके उपयोग एवं संचयन हेतु अनुज्ञप्तियाँ क्रमशः उत्पाद प्रपत्र 22, 23 एवं 24 में निर्गत की जाती है।

विकृत सुषव (Denatured Spirit) एवं अन्य अद्यौगिक अल्कोहल (Industrial Alcohol) यथा ईथेनॉल का भी उत्पादन आसवनियों (Distilleries) में किया जाता है। The Industries (Development and Regulation) Act, 2016 (संशोधित) के अनुसार राज्य सरकार के क्षेत्राधीन केवल मानव उपभोग योग्य शराब पर नियंत्रण तथा कर शुल्क अधिरोपण एवं कानून बनाने की शक्ति निहित है। इसके अतिरिक्त आद्योगिक अल्कोहल तथा विकृत इथेनॉल, जो मानव उपभोग के लिए नहीं है, के संबंध में कानून बनाने और नियंत्रित करने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित है। उक्त संशोधित The Industries (Development and Regulation) Act, 2016 तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक P-13032(17)24/2017-CC-Part-1(P-26739) दिनांक 02.01.2019 के द्वारा IDR Act, 1951 के संशोधित प्रावधान का अनुपालन करने के अनुरोध करने के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या 687 दिनांक 14.08.2019 निर्गत किया गया है, जिसके तहत निम्नांकित निर्णय लिया गया है –

"The Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 2016 में वर्णित प्रावधान पर सहमत होते हुए झारखंड उत्पाद अधिनियम की धारा 89 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि Industrial Alcohol (Ethanol) के उत्पादन हेतु आसवनियों को उत्पाद अनुज्ञप्ति तथा उत्पादित औद्योगिक अल्कोहल (Ethanol) के आयात, निर्यात तथा परिवहन के लिए किसी तरह का पास अथवा परमिट की आवश्यकता नहीं

होगी। आसवनी के प्रभारी पदाधिकारी एवं आसवनपति के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी से निकलने वाले औद्योगिक अल्कोहल (Ethanol) का आयात, निर्यात एवं परिवहन GPS एवं Digital Lock से युक्त टैंकर से हो, ताकि इसके दुरूपयोग की संभावना नहीं रहे।"

4. भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के अंतर्गत 2030 तक पेट्रोल में ईथेनॉल का 20% मिश्रण करने का लक्ष्य किया गया था। भारत सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा ईथेनॉल उत्पादन करने वाले निवेशकों को Ease of Doing Business नीति के तहत अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु उद्योग विभाग, झारखंड के द्वारा भी कार्रवाई की गई है, जिसक तहत कई निवेशकों के द्वारा ईथेनॉल उत्पादन हेतु आवेदन समर्पित करते हुए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त की गई है। उल्लेखनीय है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 687 दिनांक 14.08.2019 द्वारा केवल पेट्रोलियम कम्पनियों को ईथेनॉल की आपूर्त्ति हेतु डिस्टलरी की स्थापना के लिए किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है।

5. सिविल अपील संख्या 151/2007 – उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स ललता प्रसाद वैश एवं सन्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा न्याय निर्णय पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नरूपेण है –

140. In view of the discussion above, the following conclusions emerge:

a. Entry 8 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution is both an industry-based entry and a product-based entry. The words that follow the expression “that is to say” in the Entry are not exhaustive of its contents. It includes the regulation of everything from the raw materials to the consumption of ‘intoxicating liquor’;

b. Parliament cannot occupy the field of the entire industry merely by issuing a declaration under Entry 52 of List I. The State Legislature’s competence under Entry 24 of List II is denuded only to the extent of the field covered by the law of Parliament under Entry 52 of List I;

c. Parliament does not have the legislative competence to enact a law taking control of the industry of intoxicating liquor covered by Entry 8 of List II in exercise of the power under Article 246 read with Entry 52 of List I;

d. The judgments of the Bombay High Court in FN Balsara v. State of Bombay (supra), this Court in FN Balsara (supra) and Southern Pharmaceuticals (supra) did not limit the meaning of the expression

'intoxicating liquor' to its popular meaning, that is, alcoholic beverages that produce intoxication. All the three judgments interpreted the expression to cover alcohol that could be noxiously used to the detriment of health;

e. The expression 'intoxicating liquor' in Entry 8 has not acquired a legislative meaning on an application of the test laid down in Ganon Dunkerley (supra);

f. The study of the evolution of the legislative entries on alcohol indicates that the use of the expressions "intoxicating liquor" and "alcoholic liquor for human consumption" in the Seventh Schedule to the Constitution was a matter well-thought of. It also indicates that the members of the Constituent Assembly were aware of use of the variants of alcohol as a raw material in the production of multiple products;

g. Entry 8 of List II is based on public interest. It seeks to enhance the scope of the entry beyond potable alcohol. This is inferable from the use of the phrase 'intoxicating' and other accompanying words in the Entry. Alcohol is inherently a noxious substance that is prone to misuse affecting public health at large. Entry 8 covers alcohol that could be used noxiously to the detriment of public health. This includes alcohol such as rectified spirit, ENA and denatured spirit which are used as raw materials in the production of potable alcohol and other products. However, it does not include the final product (such as a hand sanitiser) that contains alcohol since such an interpretation will substantially diminish the scope of other legislative entries;

h. The judgment in Synthetics (7J) (supra) is overruled in terms of this judgment;

i. Item 26 of the First Schedule to the IDRA must be read as excluding the industry of "intoxicating liquor", as interpreted in this judgment;

j. The correctness of the judgment in Tika Ramji (supra) on the interpretation of word 'industry' as it occurs in the legislative entries does not fall for determination in this reference; and

k. The issue of whether Section 18G of the IDRA covers the field under Entry 33 of List III does not arise for adjudication in view of the finding that denatured alcohol is covered by Entry 8 of List II.

उक्त न्याय निर्णय से स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक अल्कोहल (Industrial Alcohol) को मादक मदिरा (Intoxicating Liquor) की श्रेणी में उद्घोषित (Declare) किया गया है। इस न्याय निर्णय के अनुसार राज्य सरकार, औद्योगिक अल्कोहल (Industrial Alcohol) के उत्पादन हेतु अनुज्ञापन एवं करारोपण (Taxation) का कार्य कर सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत मादक मदिरा (Intoxicating Liquor) पर विनियमन एवं करारोपण (Regulation and Taxation) का अनन्य विशेषाधिकार (Exclusive Privilege) राज्य सरकार को है।

6. उक्त पृष्ठभूमि के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं –

i. सदस्य, राजस्व पर्षद के द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 23–137–2 दिनांक 29.04.1919 के आलोक में औद्योगिक अल्कोहल (Industrial Alcohol) यथा ईथेनॉल के उत्पादन, बिक्री तथा परिवहन एवं निर्यात हेतु झारखंड राज्य में कार्य कर रही आसवनियों को उत्पाद प्रपत्र 28B के तहत अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की जायेंगी।

ii. उत्पाद प्रपत्र 28B के तहत निर्गत की जानी वाली अनुज्ञप्ति का प्रपत्र इस संकल्प के साथ संलग्न है।

iii. उत्पाद प्रपत्र 28B के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु सभी आवेदक, विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) तथा पर्षदीय अधिसूचना संख्या 23–137–2 दिनांक 29.04.1919 के प्रावधानों से अपने आप को प्रतिबद्ध रखते हुए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को करेंगे।

iv. उक्त अनुज्ञप्ति हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क विभागीय अधिसूचना संख्या 426 दिनांक 10.03.2015 के अनुसार देय होगा।

v. ईथेनॉल के आयात (Import), निर्यात (Export) एवं परिवहन (Transportation) पर रू0 1/– प्रति बल्क लीटर की दर से आयात शुल्क (Import Fee), निर्यात शुल्क (Export Fee) एवं परिवहन शुल्क (Transportation Fee) देय होगा।

vi. ईथेनॉल का दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आसवनियों (Distilleries) में उत्पादित ईथेनॉल का पेट्रोल कम्पनियों को निर्गमन देने के पूर्व Crotonaldehyd 0.2% V/V के साथ–साथ 0.004% W/V Denatonium Benzoate मिश्रित किया जायेगा।

vii. ईथेनॉल का आयात (Import), निर्यात (Export) एवं परिवहन (Transportation) GPS युक्त टैंकर एवं Digital Locker के तहत की जायेगी।

viii. उत्पाद प्रपत्र 22 (License for Wholesale of Denatured Spirit) हेतु वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 10000/– (दस हजार रूपये) प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए तथा रू0 1/– प्रति बल्क लीटर परमिट शुल्क देय होगा।

ix. उत्पाद प्रपत्र 23 (License for Retail Sale of Denatured Spirit) हेतु वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 5000/– (पाँच हजार रूपये) प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए तथा रू0 0.50/– प्रति बल्क लीटर परमिट शुल्क देय होगा।

x. उत्पाद प्रपत्र 24 (License for the Use or For Storage of Denatured Spirit) हेतु वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 50000/– (पचास हजार रूपये) प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए तथा रू0 0.50/– प्रति बल्क लीटर परमिट शुल्क देय होगा।

xi. उत्पाद प्रपत्र 25 (License for the Manufacture of Denatured Spirit and issue of the same free of duty) हेतु वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 100000/– (एक लाख रूपये) प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए तथा रू0 0.50/– प्रति बल्क लीटर परमिट शुल्क देय होगा।

xii. उत्पाद प्रपत्र 28B के तहत कार्यरत आसवनियों को पेट्रोलियम कम्पनियों को ईथेनॉल का निर्गमन देने हेतु उत्पाद मुख्यालय स्तर से एतद् हेतु आवंटन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उत्पाद मुख्यालय के द्वारा दिये गये आवंटन के विरूद्ध आसवनी में कार्यरत अधीक्षक उत्पाद/प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा मान्य पारकों के आधार पर ईथेनॉल के परिवहन/निर्यात की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक आसवनी को ईथेनॉल उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल एवं उत्पादित ईथेनॉल से संबंधित स्कन्ध पंजी नियमानुसार संधारित करना होगा।

xiii. आसवनी के ईथेनॉल Loading Point एवं अन्य Strategic Location जहाँ आयुक्त उत्पाद उचित समझें, पर इंटरनेट आधारित CCTV Camera एवं अन्य उपकरण अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा, ताकि डिस्टलरी के कार्यकलापों का अवलोकन उत्पाद मुख्यालय स्थित कन्ट्रोल रूम से किया जा सके।

xiv. विभागीय आदेश ज्ञापांक 1728 दिनांक 14.10.2020 के आलोक में सभी 28B अनुज्ञप्तिधारियों को Mass Flow Meter एवं Sensor Based Radar Level Transmitter भी नियमानुसार लगाना होगा।

xv. Industrial Alcohol एवं ईथेनॉल उत्पादन में संलग्न आसवनियों के संचालन हेतु विस्तृत SOP मानक संचालन प्रक्रिया आयुक्त उत्पाद, झारखंड के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

xvi. उत्पाद प्रपत्र 28B के तहत Industrial Alcohol/ईनेथॉल उत्पादन हेतु अनुज्ञप्तिधारी झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं इसके अंतर्गत बने सभी नियमों, आदेशों, निदशों, अधिसूचनाओं से अपने आपको आबद्ध रखेंगे।

7. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2087 (गजट संख्या 687 दिनांक 27.08.2019) दिनांक 14.08.2019 को अवक्रमित किया जाता है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 01/नीति–05–01/2025–..................../ राँची, दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखंड राज्य के राजकीय गजट में अविलंब करें तथा प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 01/नीति–05–01/2025–..................../ राँची, दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, राँची/सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 01/नीति–05–01/2025–..................../ राँची, दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखंड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त/उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

FORM No. 28B

License to Manufacture Spirit i.e. Industrial Alcohol/Ethanol in a Distillery for use in the other manufacturing industries or its mixing in petroleum products

---

License is hereby granted under Section 13 of the Jharkhand Excise Act, 2000 to .... resident of .... hereinafter called the licensee, to manufacture spirit in his distillery, situated at .... from .... to .... subject to the conditions laid down by the Board.

Condition

1. The licensee shall be bound by the provisions contained in the Jharkhand Excise Act, 1915 (Bihar Act II of 1915) and all rules made thereunder applicable to manufacture, import, export, transport, issue and sale of spirit. The terms and conditions of this license may be modified or added at any time during the currency of the license.
2. The licensee shall be bound by all general or special order which may be issued by the Excise Commissioner from time to time.
3. The spirit manufactured under this license shall be subject to periodical analysis by or under the orders of Collector/Deputy Commissioner or the Excise Commissioner, and the licensee shall take steps to remedy any defects in the quality thereof which the Excise Commissioner may consider material.
4. The licensee shall provide such stills, apparatus, vats, tanks, casks, pump, pipes, cocks, gauging rods, vessels, plant and utensils of such number, capacity and design as the Excise Commissioner and proper (as to which the orders in writing of the Collector/Deputy Commissioner shall be conclusive), in provide for the purification of water supplied to the distillery, for purposes of manufacture of spirit and shall be bound to

comply with all written directions of the Collector/Deputy Commissioner in these respects forthwith after the receipt of such directions.

5. The licensee shall from time to time only and efficiently repair, maintain and keep in good and sufficiently repaired and good working order and condition the distillery and all buildings at which the manufacture and supply of spirit under this license is for the time being permitted.

6. The licensee shall not without previous sanction of the Excise Commissioner make any addition or alteration to the buildings, stills or other permanent apparatus.

7. The licensee shall be bound to make such arrangements as may be prescribed in writing by the Collector/Deputy Commissioner for th disposal of effluents, waste matter and refuse and shall be bound with the provisions contained in Water Prevention and Control of Pollution Act, 1974. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1991 and the Environment (Protection) Act, 1986.

8. The licensee shall maintain such minimum stocks of spirit as the Excise Commissioner from time to time notify to the licensee in writing and if and whenever the stock shall fall below the prescribed minimum he shall forthwith make up the same to the prescribed minimum.

9. The licensee shall pay in advance to Government a fee of Rs. .... for .... the year ....

10. The licensee shall deposit with the Collector a sum of Rs .... either in Government Promissory notes or in such other form as the Excise Commissioner may direct or shall execute a mortgage in the prescribed form of the distillery premises, stills, apparatus, plant and utensils employed in the manufacture of spirit for such amount as may be fixed by the Board, as security for the fulfilment of these conditions and for

the payment of all sums of money which may become due and owing by the licensee to the Government by way of penalty or otherwise.

11. The licensee shall not act in any manner prejudicial to the interest of the revenues of the Government.

12. The breach, non-performance or non-observance by the licensee or his agent of any of the conditions of this license or any provision of the Bihar Excise Act, 1915 or rules framed thereunder so far as they relate to the, licensee, shall render the license liable to cancellation or suspension.

Installed capacity of the distillery.

Collector/Deputy Commissioner.

Counterpart Agreement

I, ... the above named licensee for myself and my heirs, legal representatives and assignees, hereby agree to all the terms and conditions hereinbefore written and expressed.

Dated ....   Signature ....

Witnesses...................